

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3885
17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम हेतु सहायता

3885. श्री गिरीश चन्द्र:

श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

क्या कृषि और विकास कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम और उक्त योजना के तहत राज्य-वार कितना धन आवंटित किया गया है;
- (ख) क्या योजना के तहत जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र है; और
- (ग) अभी तक योजना में उल्लिखित उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी)/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) शुरू की गई थी और इस योजना को फसल पूर्व और फसल पश्चात प्रबंधन के विकास पर अधिक फोकस देने के साथ दिनांक 01.11.2017 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए लाभकारी दृष्टिकोण का कायाकल्प (आरकेवीवाई-रफ्तार) के रूप में संशोधित किया गया है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के तहत निधियों का वर्ष-वार और राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति **अनुबंध-I** पर है।

(ख) एवं (ग): योजना के तहत निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए राज्यों को वेब आधारित आरकेवीवाई पोर्टल पर परियोजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करने और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा योजना की मॉनीटरिंग आरकेवीवाई परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, डेस्क समीक्षा बैठकें, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरे पक्ष के मूल्यांकन आदि के माध्यम से की जाती है। इस योजना के तहत निधियों को 50% की दो किस्तों में राज्यों को जारी की जाती है। राज्यों को चालू वर्ष में पहली किस्त के रूप में जारी की गई निधियों के 60% और पिछले वर्षों में जारी किए गई निधियों का 100% के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि इस योजना के तहत निधि की दूसरी किस्त प्राप्त कर सके।

राज्यों ने पूर्व और कटाई के बाद के प्रबंधन सहित परियोजनाओं के लिए इस योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कई परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। वेब आधारित आरकेवीवाई पोर्टल (आरडीएमआईएस) में राज्यों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में योजना के तहत अनुमोदित परियोजना की राज्यवार लागत **अनुबंध- II** पर है।

दिनांक 11.03.2020 के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के दौरान आरकेवीवाई के तहत निधियों का राज्य वार आवंटन एवं निर्मुक्ति

मूल्य करोड़ रुपए में

क्रम सं	राज्य का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
		आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	213.89	208.20	204.71	253.48	210.34	204.81
2	अरुणाचल प्रदेश	41.92	10.63	18.58	9.26	19.46	18.23
3	असम	290.99	241.07	202.29	201.62	219.93	215.28
4	बिहार	175.69	69.31	168.39	83.97	184.53	89.08
5	छत्तीसगढ़	166.08	157.65	116.43	113.94	132.66	128.25
6	गोवा	17.77	8.89	15.00	7.45	16.28	3.36
7	गुजरात	220.13	194.70	114.58	109.24	118.07	107.47
8	हरियाणा	122.12	87.53	66.07	80.55	68.97	53.69
9	हिमाचल प्रदेश	24.42	22.94	23.84	23.52	24.90	24.47
10	जम्मू और कश्मीर	113.84	24.76	19.83	9.59	21.17	7.94
11	झारखंड	128.77	0.60	101.51	32.49	109.50	48.44
12	कर्नाटक	264.72	235.11	115.38	127.36	191.20	183.90
13	केरल	128.44	51.50	68.29	82.94	66.95	65.18
14	मध्य प्रदेश	236.73	217.53	174.38	219.17	182.53	179.22
15	महाराष्ट्र	419.62	398.62	247.78	245.11	261.76	235.63
16	मणिपुर	17.17	13.75	16.53	14.69	16.33	15.78
17	मेघालय	21.10	10.41	20.58	16.93	20.06	9.39
18	मिजोरम	10.43	10.38	11.80	11.06	11.74	8.86
19	नागालैंड	57.57	57.35	40.30	48.67	38.83	38.19
20	ओडिशा	289.04	174.42	198.80	242.02	207.84	197.42
21	पंजाब	284.47	131.42	90.60	44.59	90.95	0.00
22	राजस्थान	241.28	234.97	160.00	196.99	165.71	81.86
23	सिक्किम	6.09	2.99	14.06	17.36	15.59	7.65
24	तमिलनाडु	224.14	224.38	175.36	217.08	176.63	171.68
25	तेलंगाना	127.68	63.85	258.58	128.69	261.18	130.59
26	त्रिपुरा	40.38	32.76	53.45	66.67	56.61	54.70
27	उत्तर प्रदेश	440.00	268.72	333.55	389.58	348.06	297.56
28	उत्तराखंड	85.71	79.66	22.78	28.86	23.37	25.27
29	पश्चिम बंगाल	306.80	293.36	194.21	243.49	223.27	137.15
	कुल राज्य	4717.01	3527.44	3247.64	3266.33	3484.41	2741.04

अनुबंध-II
लोसअताप्रसं.3885

क्षेत्र वार अनुमोदित परियोजना लागत 2017-18

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं	राज्य	फसल	बाग.	सीरी	एएनएचबी	अन्य	मात्स्यिकी	सीओओपी	आईपीएमटी	बीज	एफआईएनएम	एएमईसी	विस्तार	विपणन	एनओएनएफ	आईटीईसी	एजीआरई	एनआरएम	आईआरआरआई	ओआरएफएम	डीडीवी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0.00	100.64	7.68	119.84	54.76	47.28	0.00	12.39	56.42	1.50	155.08	5.67	47.70	0.00	1.44	91.67	0.00	0.00	2.34	41.99	746.39
2	अरुणाचल प्रदेश	7.80	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	17.60
3	असम	369.76	48.84	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56	0.00	0.00	24.74	0.00	10.12	0.00	0.00	9.77	0.00	503.29
4	बिहार	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
5	छत्तीसगढ़	133.79	35.32	0.00	0.00	0.00	15.72	0.00	1.00	22.77	2.25	0.80	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	241.27
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36	0.07	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.34
7	गुजरात	108.76	18.40	0.00	19.95	2.85	68.41	0.00	77.55	168.83	0.00	0.00	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	157.69	0.00	0.00	0.00	671.32
8	हरियाणा	76.14	15.17	0.00	35.64	3.80	51.10	0.00	4.00	0.00	7.80	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	15.00	30.00	2.60	5.03	349.95
9	हिमाचल प्रदेश	3.00	0.50	0.00	4.36	0.86	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.48	0.00	27.68
10	कर्नाटक	0.00	73.69	15.83	109.40	81.34	6.62	0.00	0.80	34.56	0.00	2.16	6.00	96.61	61.31	0.00	15.72	0.92	10.42	0.00	0.00	515.38
11	केरल	45.00	41.56	0.00	21.83	0.00	20.65	0.00	0.00	2.73	0.00	6.19	0.77	3.59	28.57	0.00	8.40	12.39	0.00	0.00	14.75	206.43
12	मध्य प्रदेश	0.00	67.45	0.00	69.58	14.80	0.00	22.95	0.00	79.36	1.57	126.10	104.84	1.33	1.64	0.00	36.68	23.41	0.00	0.00	22.26	571.96
13	महाराष्ट्र	41.72	123.96	0.36	328.42	0.00	51.07	0.00	5.02	25.79	0.25	115.00	4.00	138.18	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	20.13	858.09
14	मेघालय	0.00	1.77	1.24	0.00	0.00	0.20	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	7.62
15	नागालैंड	1.00	4.36	0.00	0.00	3.87	4.13	1.82	1.00	2.70	1.00	6.25	1.00	5.19	0.00	0.00	0.40	9.75	0.00	0.70	0.00	43.16
16	ओडिशा	183.27	85.07	0.00	33.62	1.18	60.86	1.01	15.02	13.17	13.25	59.12	157.43	19.97	0.00	17.59	42.60	5.39	57.83	0.00	15.41	781.78
17	राजस्थान	0.00	124.15	0.00	33.99	2.02	0.89	10.00	0.00	1.34	0.00	0.00	9.60	0.00	0.83	24.65	17.73	42.70	0.00	0.00	0.00	267.91
18	तमिलनाडु	180.26	36.50	0.00	77.38	0.00	15.96	14.06	10.00	1.00	0.00	61.64	48.00	25.33	0.00	0.00	10.38	4.50	0.00	3.00	15.21	503.21
19	तेलंगाना	0.17	0.00	0.38	16.80	0.25	5.12	0.00	4.95	23.07	12.15	85.00	0.00	1.40	2.20	0.00	9.31	0.00	0.00	0.45	3.32	164.56
20	त्रिपुरा	22.73	0.00	0.00	7.44	0.00	3.31	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22
21	उत्तर प्रदेश	233.27	49.85	15.70	198.88	39.31	24.38	0.00	0.00	111.17	2.33	15.43	1.54	0.00	0.00	5.84	9.64	0.00	13.80	40.12	0.00	761.27
22	उत्तराखण्ड	6.12	1.81	4.34	10.99	2.95	3.24	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	19.87	4.63	78.14
23	पश्चिम बंगाल	123.28	34.98	0.00	114.58	0.00	44.09	30.00	0.65	24.11	5.28	29.70	11.66	14.86	0.00	0.00	6.48	20.00	49.96	0.00	2.58	512.22
	कुल	1562.71	864.02	45.52	1202.71	229.99	429.01	80.70	132.37	580.67	47.38	799.81	375.80	415.98	119.29	52.72	293.12	299.50	196.51	81.33	145.31	7954.45

कुल लागत : रुपए 7954.45 करोड़

फसल - फसल विकास; बागवानी - बागवानी; सीरी - रेशम पालन; एएनएचबी - पशुपालन; अन्य- नवाचार कार्यक्रम/अन्यफ; मात्स्यिकी - मात्स्यिकी ; सीओओपी- सहकारी/सहयोग; आईपीएमटी - समेकित कीट प्रबंधन; बीज - बीज; एफआईएनएम- उर्वरक और आईएनएम; एएमईसी - कृषि यांत्रिकी; विस्तार - विस्तार; एमआरकेटी - मार्केटिंग और फसलोपरांत प्रबंधन; एनओएनएफ - गैर कृषि गतिविधियां; आईटीईसी - सूचना प्रौद्योगिकी; एजीआरई - अनुसंधान (कृषि/बाग. /पशुपालन आदि); एनआरएम - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; आईआरआरआई -सूक्ष्म /लघु सिंचाई; ओआरएफएम - जैविक कृषि/जैव उर्वरक; डीडीवी - डेयरी विकास

अनुबंध-II
लोसअताप्रसं.3885

क्षेत्र वार अनुमोदित परियोजना लागत 2018-19

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं	राज्य	फसल	बाग.	सीरी	एएनएचबी	अन्य	मात्स्यकी	सीओओपी	आईपीएमटी	बीज	एफआईएनएम	एएमईसी	विस्तार	विपणन	एनओएनएफ	आईटीईसी	एजीआरई	एनआरएम	आईआरआरआई	ओआरएफएम	डीडीवी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5.29	55.25	8.35	48.43	0.00	20.21	0.30	0.00	17.97	0.00	60.52	0.00	0.00	2.40	0.00	27.80	0.00	0.00	112.92	18.38	377.83
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	3.20	6.88	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	1.03	0.00	23.46
3	असम	154.50	3.81	5.46	21.55	10.43	5.13	0.00	3.00	19.37	0.00	17.52	0.00	21.79	10.70	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	7.42	291.62
4	छत्तीसगढ़	133.47	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.80	1.03	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	6.60	0.00	208.30
5	गोवा	0.00	1.28	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
6	गुजरात	11.82	40.50	0.00	116.22	0.00	4.00	0.00	11.10	107.45	0.00	0.00	20.95	170.66	0.00	0.00	41.57	4.17	0.00	1.10	7.04	536.59
7	हरियाणा	5.03	11.92	0.00	14.50	0.70	9.98	0.00	6.21	13.30	5.00	0.00	25.50	17.00	0.00	0.00	17.12	35.00	20.00	12.14	10.08	203.46
8	हिमाचल प्रदेश	3.50	3.16	0.00	6.75	4.50	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.58	0.00	0.00	23.09
9	कर्नाटक	6.75	30.02	3.02	46.42	27.47	2.61	0.00	0.00	9.22	0.00	22.85	12.50	0.00	0.00	0.00	2.97	5.00	0.00	0.00	0.00	168.83
10	केरल	9.99	10.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	11.85	4.58	0.00	0.60	52.83
11	मध्य प्रदेश	67.19	0.00	0.00	37.65	0.00	13.41	111.03	0.00	94.38	0.96	70.00	45.52	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	24.60	71.00	542.62
12	महाराष्ट्र	0.00	349.44	13.48	24.37	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2.01	41.86	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.56	0.00	732.90
13	मेघालय	0.00	5.80	0.00	4.21	0.26	3.99	0.59	1.25	0.00	0.00	1.89	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.13	0.00	32.49
14	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
15	ओडिशा	88.35	40.79	25.71	49.92	15.88	29.13	33.43	6.34	0.00	7.88	37.61	4.09	7.90	0.00	0.00	6.83	12.53	7.00	1.45	12.85	387.70
16	राजस्थान	0.00	2.75	0.00	28.28	221.61	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	52.54	48.10	0.00	56.09	418.83
17	तमिलनाडु	174.25	48.84	0.00	24.44	0.00	20.27	11.80	0.00	1.00	0.00	42.60	57.81	26.00	0.00	0.00	5.55	4.50	0.00	0.00	25.94	443.01
18	तेलंगाना	2.15	32.32	13.97	37.05	0.00	4.29	2.70	3.28	57.36	4.44	129.30	0.00	0.85	0.00	1.23	19.49	0.00	0.00	0.42	12.93	321.79
19	त्रिपुरा	11.50	0.00	0.00	6.28	0.00	5.30	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
20	उत्तर प्रदेश	130.19	72.51	0.00	21.51	1.60	0.00	0.00	2.10	72.92	7.37	23.68	104.64	10.00	0.00	0.00	27.48	0.00	28.94	40.59	7.60	551.14
21	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	2.80	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27
22	पश्चिम बंगाल	114.64	21.40	2.98	46.21	0.00	37.70	30.00	0.00	4.74	0.80	54.25	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00	367.24
	कुल	918.62	760.98	72.98	539.02	287.95	157.02	189.85	33.29	419.43	26.45	780.08	305.74	315.02	13.10	1.23	178.88	152.00	169.52	201.53	229.93	5752.64

कुल लागत : रुपए 5752.64 करोड़

फसल - फसल विकास; बागवानी - बागवानी; सीरी - रेशम पालन; एएनएचबी - पशुपालन; अन्य- नवाचार कार्यक्रम/अन्यफ; मात्स्यकी - मात्स्यकी ; सीओओपी- सहकारी/सहयोग; आईपीएमटी - समेकित कीट प्रबंधन; बीज - बीज; एफआईएनएम- उर्वरक और आईएनएम; एएमईसी - कृषि यांत्रिकी; विस्तार - विस्तार; एमआरकेटी - मार्केटिंग और फसलोपरांत प्रबंधन; एनओएनएफ - गैर कृषि गतिविधियां; आईटीईसी - सूचना प्रौद्योगिकी; एजीआरई - अनुसंधान (कृषि /बाग. /पशुपालन आदि); एनआरएम - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; आईआरआरआई -सूक्ष्म /लघु सिंचाई; ओआरएफएम - जैविक कृषि/जैव उर्वरक; डीडीवी - डेयरी विकास

अनुबंध-II
लोसअताप्रसं.3885

क्षेत्र वार अनुमोदित परियोजना लागत 2019-20

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं	राज्य	फसल	बाग.	सीरी	एएनएचबी	अन्य	मात्स्यकी	सीओओपी	आईपीएमटी	बीज	एफआईएनएम	एएमईसी	विस्तार	विपणन	एनओएनएफ	आईटीईसी	एजीआरई	एनआरएम	आईआरआरआई	ओआरएफएम	डीडीवी	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	43.14	9.72	0.00	6.37	20.37	0.00	2.50	32.36	5.22	26.54	1.76	0.00	0.00	0.00	37.63	0.00	0.00	75.00	19.61	280.21	
2	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.12	0.00	0.00	5.42	
3	गुजरात	5.00	14.17	0.00	17.50	44.51	5.00	0.00	10.00	114.60	0.90	0.00	1.38	2.00	0.00	0.00	46.97	0.00	0.00	1.00	5.20	268.23	
4	हरियाणा	67.82	15.93	0.00	61.23	1.51	8.00	0.00	5.04	30.56	2.78	0.00	30.60	0.00	0.52	1.29	36.67	31.07	31.25	4.25	6.32	334.83	
5	हिमाचल प्रदेश	3.50	2.77	0.00	6.92	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	3.96	0.00	0.00	0.00	22.94	
6	कर्नाटक	1.66	33.21	6.11	23.82	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20	
7	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
8	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	
9	ओडिशा	108.94	51.83	0.00	17.40	9.80	19.91	0.00	6.19	0.00	1.30	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	373.39	
10	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	3.20	2.58	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.14	9.09	0.00	0.00	0.00	35.01	
11	तमिलनाडु	139.04	21.95	0.00	7.09	0.00	13.31	15.23	22.52	0.38	6.45	29.68	118.00	13.10	0.00	0.00	3.56	3.00	0.00	0.00	0.00	15.20	408.51
12	तेलंगाना	0.00	26.14	11.45	98.32	0.00	2.00	12.60	14.62	36.84	1.02	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	
13	त्रिपुरा	41.32	1.43	0.00	9.11	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.56	
14	उत्तर प्रदेश	77.17	40.23	1.57	32.02	0.00	0.00	32.00	0.00	4.98	3.30	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.62	14.68	250.56	
15	पश्चिम बंगाल	94.19	8.46	0.00	0.00	0.00	23.86	33.46	0.00	3.19	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.85	
	कुल	538.63	259.26	28.85	276.60	69.10	99.63	93.29	62.88	222.91	20.97	366.53	208.95	16.60	0.52	11.29	242.62	47.12	31.37	80.87	61.01	2739.01	

कुल लागत : रुपए 2739.01 करोड़

फसल - फसल विकास; बागवानी - बागवानी; सीरी - रेशम पालन; एएनएचबी - पशुपालन; अन्य- नवाचार कार्यक्रम/अन्यफ; मात्स्यकी - मात्स्यकी ; सीओओपी- सहकारी/सहयोग; आईपीएमटी - समेकित कीट प्रबंधन; बीज - बीज; एफआईएनएम- उर्वरक और आईएनएम; एएमईसी - कृषि यांत्रिकी; विस्तार - विस्तार; एमआरकेटी - मार्केटिंग और फसलोपरांत प्रबंधन; एनओएनएफ - गैर कृषि गतिविधियां; आईटीईसी - सूचना प्रौद्योगिकी; एजीआरई - अनुसंधान (कृषि /बाग. /पशुपालन आदि); एनआरएम - प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; आईआरआरआई -सूक्ष्म /लघु सिंचाई; ओआरएफएम - जैविक कृषि/जैव उर्वरक; डीडीवी - डेयरी विकास
